भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2430

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः कृषक राहत कार्यक्रमों की सहायता के लिए निधियां

2430. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कुल कितने किसानों पर ऋण बकाया है और सरकार द्वारा उनके वित्तीय भार को दूर करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं,

(ख) वर्ष 2019 से 2024 तक माफ की गई धनराशि और लाभान्वित किसानों की संख्या सहित माफ किए गए कृषि ऋणों अथवा कार्यान्वित किए गए अन्य राहत उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किन्हीं राज्यों ने कृषक राहत कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त निधियों अथवा सहायता का अनुरोध किया है और केन्द्र सरकार द्वारा उनकी सहायता के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): ऋण दायित्वों के तहत किसानों की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख): भारत सरकार ने वर्ष 2019 से 2024 के दौरान किसी भी कृषि ऋण माफी की घोषणा नहीं की है। तथापि, कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर कृषि ऋण माफी योजनाओं की घोषणा करती हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी से संबंधित जानकारी नहीं रखती है।

(ग): जी, नहीं।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2430 दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ के लिए अनुलग्नक

कृषि ऋण बकाया वाले कुल खाते दिनांक 31 मार्च 2024 तक

खातों की संख्या लाख में

क्रं.सं	राज्य का नाम	योग
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.25
2	आंध्र प्रदेश	157.30
3	अरुणाचल प्रदेश	0.43
4	असम	17.66
5	बिहार	122.49
6	चंडीगढ़ यू.टी	0.60
7	छत्तीसगढ	22.74
8	दादर एवं नागर हवेली यूटी	0.09
10	दिल्ली	4.08
11	गोवा	1.04
12	गुजरात	55.78
13	हरियाणा	40.22
14	हिमाचल प्रदेश	6.67
15	जम्मू और कश्मीर	10.78
16	झारखंड	31.23
17	कर्नाटक	161.91
18	केरल	101.81
19	लद्दाख	0.27
20	लक्षद्वीप यूटी	0.04
21	मध्य प्रदेश	93.52
22	महाराष्ट्र	146.06
23	मणिपुर	0.69
24	मेघालय	1.35
25	मिजोरम	0.77
26	नागालैंड	0.55
27	ओडिशा	95.11
28	पुदुचेरी	4.35
29	पंजाब	38.37
30	राजस्थान	105.01
31	सिक्किम	0.22
32	तमिलनाडु	288.16
33	तेलंगाना	78.29
34	त्रिपुरा	4.88
35	उत्तर प्रदेश	188.39
36	उत्तराखंड	10.49
37	पश्चिम बंगाल	83.12
	कुल योग	1874.71

डेटा स्रोत: नाबार्ड और आरबीआई के इंसयोर पोर्टल पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत डेटा

अनुबंध- II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2430 दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ के लिए अनुलग्नक

किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों पर संक्षिप्त जानकारी।

1. किसानों द्वारा केसीसी के माध्यम से लिए गए अल्पावधि कृषि ऋण को रियायती ब्याज दर पर उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए **संशोधित ब्याज छूट योजना** (**एम.आई.एस.एस**.) क्रियान्वित की जा रही है।

2. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को आय सहायता
यह एक आय सहायता योजना है जो देश के प्रत्येक पात्र किसानों को **3** समान किस्तों में प्रति वर्ष **6000** रुपये प्रदान करती है।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (**पी.एम.एफ.बी.वाई**.) इच्छुक किसानों को मौसम संबंधी जोखिम को कम करने के लिए फसल बीमा प्रदान करने के लिए संचालित है।

4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करना
सरकार ने **2018-19** से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारत भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम **50** प्रतिशत की वृद्धि की है ताकि उन्हें लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

******